




कार्यालय मिशन संचालक  
राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग  
रायपुर, छत्तीसगढ़



क्र. 487 / मि.सं. / रा.स्व.भा.मि.(ग्रा.) / पं.ग्रा.वि.वि. / 2019

रायपुर, दिनांक 7/8/19

प्रति,

अवर सचिव,  
छत्तीसगढ़ शासन,  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन,  
अटल नगर, रायपुर।

**विषय:-** अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु संचालित योजनाओं के संबंध में संक्षिप्त टीप उपलब्ध कराने के संबंध में।

**संदर्भ:-** विभागीय पत्र क्र. 2118/1958/22-1/2019 दिनांक 22.07.19

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु निम्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

1. ग्रामीण परिवारों को जो गरीबी रेखा से नीचे है, व्यक्तिगत/पारिवारिक शौचालय के निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि रु. 12,000/- प्रदान की जाती है, यह राशि गरीबी रेखा से उपर वाले अनुसूचित जनजातियों को भी प्रदान किया जाता है।
2. ग्राम पंचायत स्तर पर, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति गठित की जाती है, इसमें अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि रखना अनिवार्य है।

वर्ष 2019-20 में स्वच्छ भारत मिशन अभियान के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल राशि रु. 17100.00 लाख का प्रावधान रखा गया है। जिसमें केन्द्र का राशि रु. 10260.00 लाख एवं राज्य शासन का राशि रु. 6840.00 लाख हिस्सा है।

**नरेन्द्र कुमार दुग्गी**  
(नरेन्द्र कुमार दुग्गी)  
मिशन संचालक

राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग  
रायपुर, छत्तीसगढ़।

*For  
Ao*